

आदेश

राज्य के सभी अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भवनों में अग्निशमन/अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं यथा अग्नि सुरक्षा यंत्र यथा स्मॉक डिटेक्टर, सिंप्रकलर, एम.सी.बी. हूटर, फायर अलार्म इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 की धारा 103(1)(vii), 337 एवं संपठित धारा 255, 291 एवं 325 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में इस संबंध में जारी समस्त आदेश एवं परिपत्र अधिक्रमित करते हुए विभागीय आदेश दिनांक 14.09.2023 यथा संशोधित जारी किया गया था।
उक्त आदेश की तालिका-2 में उल्लेखित नवीनीकरण शुल्क में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.सं.	नगरीय निकाय	फायर सेपटी प्रमाण-पत्र/ फायर एन.ओ.सी. का देय आवेदन शुल्क (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)	फायर सेपटी प्रमाण-पत्र/फायर एन.ओ.सी. नवीनीकरण आवेदन शुल्क (सकल निर्मित क्षेत्रफल पर)
1.	नगर निगम	2/- रु प्रति वर्ग फीट	रुपये 20,000/-
2.	नगर परिषद	1.50/- रु प्रति वर्ग फीट	रुपये 15,000/-
3.	नगर पालिका	1/- रु प्रति वर्ग फीट	रुपये 10,000/-

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(इन्द्रजीत सिंह)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 1109-1451

01/07/25

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
12. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
13. आयुक्त/अधिशाली अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
14. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/वरिष्ठ नगर नियोजक/संयुक्त विधि परामर्शी नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

(नवीन यादव)

उप निदेशक (प्रशासन)